न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सालुंखे गौरव रविन्द्र, आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
ब्रह्माकुमारी एजुकेशन सोसायटी जरिये बी.के.भरत भाई पुत्र श्री त्रिबंक, जाति सूरवसे, निवासी शांतिवन तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही।		श्रीमति भंवर बाई उर्फ भंवर कुंवर पत्नि मूल सिंह अमर सिंह राठौड़, जाति राजपूत, निवासी ग्राम भिवालियां तहसील खारची ,जिला पाली व अन्य – 2

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व वाद संख्या 7/2023

दिनांक 12.12.2024

–: आदेश :–

प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपंठित धारा 151 सी.पी.सी. पर दिनांक 27.11.2024 को उभय पक्ष बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 02 ने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वादी ने एक वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है। यह कि वादपत्र के साथ वादी द्वारा जमाबंदी नकल प्रस्तुत की गई है, उसमें वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज नही है। यह कि विधिनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 53 का दावा विभाजन हेतु प्रस्तुत करने के लिए जमाबंदी में खातेदार होना अतिआवश्यक है। पक्षकार के बिना विभाजन हेतु दावा विधि विरूद्ध है।

वादी अधिवक्ता ने जवाब पेश कर कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. वादपत्र को निम्नलिखित आधारो पर निरस्त करने का प्रावधान करता है :–

1. जहां वादपत्र वादकारण को नही दिखाता है।
2. जहां चाहा गया अनुतोष कम मूल्यांकन पर है।
3. जहां अनुतोष का मूल्याकंन तो सही है। परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है।
4. जहां वाद वादपत्र के कथन से कानूनन बाधित प्रतीत होता है।

कि प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानो के अनुसार न्यायालयों को केवल वादपत्र में लिखित कथनों को ही देखना होता है और इसके अलावा कुछ भी नही देखना होता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय " छोटा बहन बनाम कीरत भाई रिर्पोटेड 2018 RBJ 376 में यह निर्धारित किया है कि आर्डर 7 नियम 11 के प्रार्थनापत्र का निर्णय करते समय प्रतिवादी द्वारा जवाबदावें में उल्लेखित सभी बाते असंगत है और मामला केवल वादपत्र में लिखित कथनों के आधार पर ही निर्णय करना होता है। कि इसी प्रकार का आदेश माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय " 2021 (2) RRT पेज न. 1331 में किया है। जिसमें राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय [illegible] नम्बर 10 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यह कथन किया है कि [illegible] निर्णय करते समय प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में लिखित कथन असंगत [illegible] मामला केवल वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर ही निर्णय करना होता है। [illegible] संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. आधारहीन होने से मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.12.20 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

हमने उभय पक्ष बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया। उक्त वाद में वादी ब्रह्माकुमारी एजूकेशन सोसायटी जरिये बी.के.भरत भाई पुत्र त्रिबंक है एवं वाद के संलग्न दस्तावेजो में जैसे विक्रय विलेख में क्रेता ब्रह्माकुमारीज एज्युकेशन सोसायटी जरिये सचिव, रमेश एन. शाह एवं जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में भी ब्रह्माकुमारीज एज्युकेशन सोसायटी जरिये सचिव, रमेश एन. शाह निवासी ब्रह्माकुमारीज पांडव भवन माऊंट आबू का नाम है। जबकि उक्त वाद ब्रह्माकुमारी एजुकेशन सोसायटी जरिये बी. के.भरत भाई पुत्र श्री त्रिबंक, जाति सूरवसे, निवासी शांतिवन तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही द्वारा लाया जा रहा है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज नही है जिससे साबित हो कि बी.के. भरत भाई को वाद लाने के लिये ब्रह्माकुमारीज एज्युकेशन सोसायटी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। अतः आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. के बिन्दु संख्या (घ) में अकंन है कि जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है उस वादपत्र को नामंजूर किया जा सकता है। चूंकि वाद पत्र में अनुतोष चाहा गया है कि विवादित भूमि का मीट्स एण्ड बाउन्ड, अच्छे और बुरे किस्म को ध्यान में रखते हुए विभाजन किया जाये और मौके पर विभाजन कर निशानदेही दी जाय और अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय न्याय हित में उचित समझे, वादी के पक्ष पारित किया जायें। अतः ब्रह्माकुमारी एजुकेशन सोसायटी जरिये बी.के.भरत भाई पुत्र श्री त्रिबंक जो स्वयं विवादित भूमि के दस्तावेजो मे रेकर्ड पर नही है न ही पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज हो जिससे साबित हो कि ब्रह्माकुमारी एजुकेशन सोसायटी द्वारा उक्त वाद लाने के लिये बी.के.भरत भाई को प्राधिकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र में जो कथन या अनुतोष चाहा गया है वो विधि द्वारा वर्जित है।

अतः प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपंठित धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाता है और वादी का वाद उपरोक्त विवेचन अनुसार विधि द्वारा बाधित होने इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(सालुंखे गौरव रविन्द्र) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत(सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Ravindra Salunkhe
Date: 2024.12.20 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested